भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2846
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण उद्योग

2846. डॉ. नामदेव किरसान:
श्री हरीभाई पटेल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि एवं कृषि से इतर परिरक्षण एवं प्रसंस्करण अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसानों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई विशिष्ट पहलों या सहायता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की उन्नति के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण या परिरक्षण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को दी जाने वाली ऋण-सम्बद्ध वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है, तथा प्राप्तकर्ताओं की संख्या और कुल संवितरित राशि कितनी है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश के प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार देश में फसलोप्रांत होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उद्यमियों को ज्यादातर ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए चालू है, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है। योजना के क्षमता निर्माण घटक के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

प्रशिक्षकों, जिला संसाधन व्यक्तियों, उद्यमियों और विभिन्न अन्य समूहों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है। पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को समर्थन प्रदान करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) एवं (घ): केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होने के कारण, पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफ़पीआई के तहत कोई राज्यवार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। 2018-19 से इन योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों और वर्षवार कुल आवंटन और उपयोग किए गए धन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। 2020-21 से पीएमएफ़एमई योजनाओं के तहत जारी किए गए राज्यवार धन को **अनुबंध-II** में दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 31 अक्टूबर, 2024 तक पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 399 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 76 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 559 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन परियोजनाएं और 51 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता के लिए 31अक्टूबर, 2024 तक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 1,08,580 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अब तक 171 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सहायता हेतु मंजूरी दी गई है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण उद्योग" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2846 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई)के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन

क्र. सं.	घटक योजना	सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)	दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये होगी ; तथा एकल कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹ 15 करोड़ होगी; और एकल कटाई-पश्चात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹ 10 करोड़ होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 50% अनुदान सहायता।	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% अनुदान सहायता।
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान-अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 50% अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% अनुदान।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i) व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत का 35% ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) साझा अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को साझा अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। साझा अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के एक बड़े हिस्से का किराये के आधार पर उपयोग कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं में आवंटित धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**2018-19**		**2019-20**		**2020 21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
योजना	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**बजट अनुमान**	**वास्तविक व्यय 06.12.2024**
पीएमकेएसवाई	870.33	591.38	889.43	694.94	750.00	667.05	791	713.49	673	561.92	745	666.21	729	280.28
पीएमएफएमई	2020-21 में शुरू हुई योजना				400	394.59	399	326.46	290	274.76	800	778.84	879.5	654.25
पीएलआईएस	2021-22 में योजना शुरू						10	9.27	801	489.83	1150	590.5	1444.02	11.72

आरई- संशोधित अनुमान, एई- वास्तविक व्यय, बीई- बजट अनुमान

अनुबंध- II

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण उद्योग" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2846 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर (31 अक्टूबर, 2024 तक) जारी धनराशि (केंद्र का हिस्सा) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जारी राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	4.12
2	आंध्र प्रदेश	115.78
3	अरुणाचल प्रदेश	18.59
4	असम	118.02
5	बिहार	211.28
6	चंडीगढ़	2.00
7	छत्तीसगढ	28.58
8	दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	1.29
9	दिल्ली	3.98
10	गोवा	9.34
11	गुजरात	47.04
12	हरियाणा	42.63
१३	हिमाचल प्रदेश	70.51
14	जम्मू और कश्मीर	18.39
15	झारखंड	24.22
16	कर्नाटक	148.06
17	केरल	75.30
18	लद्दाख	6.29
19	लक्षद्वीप	1.01
20	मध्य प्रदेश	111.08
21	महाराष्ट्र	318.62
22	मणिपुर	6.41
23	मेघालय	9.23
24	मिजोरम	10.67
25	नागालैंड	16.52
26	ओडिशा	75.28
27	पुदुचेरी	6.00
28	पंजाब	93.15
29	राजस्थान	43.95
30	सिक्किम	12.87
३१	तमिलनाडु	164.30
32	तेलंगाना	90.36
33	त्रिपुरा	18.21
34	उत्तर प्रदेश	240.39
35	उत्तराखंड	27.45
36	पश्चिम बंगाल	6.28

*****